रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Central Secretariat Library
Ministry of Education and Culture
Government of India

सं० 40] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 1974/अग्रहायण 12, 1896
No. 40] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 1974/AGRAHAYANA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Dehi. the 3rd December 1974

S.R.O. 53-E.—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 25-E, dated the 23rd August, 1974, published in the Government of India Extraordinary Gazette, Part II, Section 4. dated the 24th August, 1974, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station, to be the members of the Cantonment Board, Deolali, namely:—

1. Lt. Col. P. L. Sachdev—Nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Shri P. S. Ozarkar, son of Shri Shankeer Rao Ozarkar—Nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[File No. 29/32/C/L&C/66/3285-C/D(Q&C)]
M. L. DAVE. Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1974

का० नि० आ० 53-ई.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 4, तारीख 24 अगस्त, 1974 में प्रकाशित, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 25-ई,

तारीख 23 अगस्त, 1974 के साथ पठित, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यह अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्ति, स्टेशन के कमान अधिकारी द्वारा छावनी-बोर्ड, देवलाली के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किए गए हैं, अर्थात् :—

1.	लेफ्टीनेण्ट कर्नल पी० एल० सचदेव	धारा 14 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्देशित ।
2.	श्री पी० एस० ओजारकर, पुत्र श्री शंकर राव ओजारकर	धारा 14 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशित ।

[सं० फा० 29/32/सी/एल एण्ड सी/66/3285-सी/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

एम० एल० दवे, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974